मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//परिपत्र//

भोपाल,दिनांक 01 फरवरी,2010

क्रमांक एफ 5–5/2009/32– इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर, 2009 प्रकाशित कर जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 (1974 का 6) की धारा–64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम,1975 में संशोधन किये गये है। उक्त अधिसूचना में उद्योगों के प्रवर्गीकरण,विनिधान एवं सम्मति शुल्क के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किये गये है । उक्त स्पष्टीकरणों का आशय निम्नानुसार पढ़ा जायें:--

स्पष्टीकरण--उद्योगो एवं संस्थानों का लाल,नारंगी एवं हरा श्रेणी में वर्गीकरण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,नई दिल्ली द्वारा जारी सूची के अनुसार होगा ।

आशय– किसी उद्योग एवं संस्थान के लाल,नारंगी अथवा हरा श्रेणी के वर्गीकरण में विवाद की स्थिति होने पर राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव के शीर्षत्व में गठित तीन सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण– "विनिधान" जैसा कि उपरोक्त सारणी में प्रकट है,को उद्योग अथवा संस्था द्वारा भूमि,मशीनरी तथा उपकरण पर विनिधान पूंजी की कुल रकम के रूप में प्रकट है ।

आशय– उपरोक्त अनुसूचियों में यथा प्रकाशित तथा नियम 2(झ) में परिभाषित "विनिधान" को और स्पष्ट किया जाता है कि यह पूँजीगत निर्माण कार्य,जिसमें भूमि,मशीनें तथा उपकरण सम्मिलित है,पर उद्योग द्वारा विनिहित पूँजी की सकल परिसम्पत्(Gross Block) है ।

स्पष्टीकरण– उक्त सम्मति शुल्क में "स्थापना सम्मति","उत्पादन सम्मति" तथा प्रथम वर्ष का सम्मति नवीनीकरण शुल्क सम्मिलित है । यदि कोई आवेदक,किन्हीं परिस्थितियों में सम्मति शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो,केवल 80 प्रतिशत सम्मति शुल्क वापस किये जाने योग्य होगा तथा 20 प्रतिशत शुल्क प्रशासकीय व्यय के रूप में काटा जावेगा,इस प्रतिबंध के साथ कि उद्योग की स्थापना ना की गई हो तथा स्थल पर कोई गतिविधि प्रारंभ ना की गई हो ।

...2

आशय– ऐसे सम्मति एवं सम्मति के नवीनीकरण जिन्हें राज्य बोर्ड द्वारा पहले से ही ऐसे एक वर्ष हेतु अनुदत्त किया जा चुका है जिसकी अवधि इस अधिसूचना के प्रकाशन को अतिच्छादित करती है,वे इस अधिसूचना के अनुसार सम्मति अथवा नवीनीकरण शुल्क प्रस्तुत करने के दायित्वाधीन नही होगें । तथापि ऐसे प्रकरणों में जहॉ सम्मति अथवा नवीनीकरण आने वाले वर्षो हेतु भी अनुदत्त किये जा चुके है,वे प्रकरण आने वाले वर्षो हेतु इस अधिसूचना के अनुसार नवीनीकरण शुल्क संदाय करने के दायित्वाधीन होगें तथा अंतर की राशि भुगतान की जाना होगी । इसी प्रकार इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त सम्मति आवेदन और सम्मति नवीनीकरण आवेदन,आवेदन के लंबित रहने के कारण अतिच्छादी अवधि हेतु बढ़ी हुई फीस के अंतर का संदाय करने के दायित्वाधीन नहीं होगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डी0डी0अग्रवाल)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 5–5/2009/32 भोपाल,दिनांक 01 फरवरी,2010

प्रतिलिपि:

सदस्य सचिव,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग